

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में अप्रैल, 1960 से मार्च, 1965 तक के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इसी अवधि में राष्ट्रीय प्रयोग-शालाओं में उच्च तथा प्रायोगिक गवेषणा कार्य का व्योरा क्या है तथा इनमें से कितनों का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (बीमती जीन्वरम रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं। अनुसंधान छात्रों की संख्या विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, दोनों ही स्थानों पर बढ़ रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की समय-समय पर प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों में यह सूचना प्रकाशित की जाती है। रिपोर्टों की प्रतियाँ संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

गाजीपुर में पाकिस्तानी जमूस की गिरफ्तारी

1185. श्री सरजू पाण्डेय : क्या बृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी आक्रमण के समय गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के हवाई अड्डे पर कोई पाकिस्तानी जामूस गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसने अधिकारियों के सामने कोई बयान नहीं दिया; और

(ग) इस घटना का व्योरा क्या है ?

बृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (बी. सी. ना. विन्ध्य) : (क) से (ग). एक व्यक्ति, जो गाजीपुर में हवाई अड्डा उतरने

के रास्ते के पास घूम रहा था, 8 सितम्बर, 1965 को स्थानीय पुलिस द्वारा आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 तथा विदेशी अधिनियम की धारा 14 के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की गई और उसके खिलाफ उसे अपराधी सिद्ध करने वाली कोई बात नहीं मिली। उस घादमी का विमान बराब मालूम पड़ता था।

Deputy Tehsildars in Kerala

1186. श्री Pottakkatt:
Shri A. V. Raghavan:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether regular lists were drawn for Deputy Tehsildars for Cannanore, Calicut and Palghat Districts during 1960, 1961 and 1962;

(b) whether any appointments were made on the basis of the above lists;

(c) whether these lists have been kept in abeyance and revised lists prepared; and

(d) if so, the reasons for preparing the revised lists without cancelling the original lists?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir.

(c) and (d) Under the Madras rules which were in force in Malabar area, the promotions to the Dy. Tehsildars Cadre were made on the basis of merit and ability. In 1959 the Government ordered that the promotions to these posts should be made on the basis of seniority -cum-fitness principle. These orders had effect from 19th October, 1959 but before these orders could be enforced, lists on selection basis were prepared and acted upon upto 24th September, 1963. Government found it necessary to